



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 10.03.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 140/25 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 02 हत्यारोपी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त एक प्लास्टिक का रस्सा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.03.2025 को थाना बडौत पर वादी श्री राजेश्वर कुमार पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1. शक्ति पुत्र पुष्पेन्द्र, 2.पुष्पेन्द्र पुत्र किसना, 3.सुमित पुत्र मन्नू निवासीगण ग्राम



जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा उसके पुत्र बलराम को अपने घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 140/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर विनीत पुत्र मन्नू निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 140/25 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त एक प्लास्टिक का रस्सा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-पुष्पेन्द्र पुत्र किसना निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत बागपत।
- 2-विनीत पुत्र मन्नू निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त एक प्लास्टिक का रस्सा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चहल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-निरीक्षक अपराध श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-है0का0 437 बलजीत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 6-है0का0 311 आदेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 7-है0का0 629 भारत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 10.03.2025

थाना बिनौली पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ तस्करो को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 70/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरमान पुत्र सत्तार निवासी कुरमाली थाना बाबरी जनपद शामली
हाल पता ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रंजीत सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 664 शेर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 10.03.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 83/25 धारा 124(1)/115(2)351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08-03-2025 को थाना खेकडा पर वादी हाजी हसन पुत्र स्व0 बसीर निवासी मौहल्ला शेखपुरा कस्बा व थाना खेकडा ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों वसीम पुत्र नामालूम निवासी कस्बा खेकडा थाना खेकडा जनपद बागपत व 03 अन्य



अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके पुत्र आमिर के साथ मारपीट करते हुए तेजाब डालकर जला दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 83/25 धारा 124(1)/115(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 83/25 धारा 124(1)/115(2)351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वसीम अकरम पुत्र नूरहसन निवासी मौहल्ला प्रेमपुरी करबा व खेकडा थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा।
- 2-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा।
- 3-का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक-10.03.2025

थाना दोघट पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के



अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-साजिद पुत्र सरवर निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-मिन्टू पुत्र रामपाल लुहार निवासी ग्राम कान्हड थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-बालिस्टर पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम हिम्मतपुर सूजती थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-पुष्पेन्द्र पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 बीरेन्द्र सिंह थाना दोघट ।
- 2-उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना दोघट ।
- 3-उ0नि0 विपिन कुमार गौतम थाना दोघट ।
- 4-उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट ।
- 5-है0का0 239 विपिन कुमार थाना दोघट ।
- 6-का0 951 पीतम्बर कुमार थाना दोघट ।
- 7-का0 1060 गौरव कुमार थाना दोघट ।



Meticulous Investigation & Prosecution BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के आरोपी विकास को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कारावास व 04 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2013 में अभियुक्त विकास पुत्र राममेहर निवासी ग्राम रन्छाड़ थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 643/2013 धारा 452/323/376/511 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विकास को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



श्री गगन गौड एडीजीसी जनपद
बागपत



आरक्षी हरदीप कुमार कोर्ट
पैरोकार थाना कोतवाली बागपत

@baghatpolice

baghatpolice

Baghat Police



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 10.03.2025

थाना बिनौली पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-आदिल पुत्र हनीफ निवासी ग्राम पिचौकरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-सुखपाल पुत्र सोनू गिरि निवासी ग्राम शाहपुर बाणगंगा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रंजीत सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 664 शेर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 573 बालकिशन थाना बिनौली जनपद बागपत ।